इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397] भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 2013—भाद्र 11, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-15-2011-1-पांच (44).—यत:, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में, निम्नलिखित संशोधन, मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 76 में, उपनियम (2) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु जहां प्ररूप 59 में वर्णित किए गए समस्त ब्यौरे के साथ आवेदन इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहां इलैक्ट्रानिक रूप से तैयार किया गया ई-ट्रांजिट पास जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जैसी की आयुक्त द्वारा विनिश्चित की जाएं, जारी किया जाएगा.".

(2) नियम 84-क में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द "व्यापारियों का वर्ग" के स्थान पर, शब्द "व्यापारियों का वर्ग या व्यक्तियों का वर्ग" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात :—

"(5) प्रभावी अनुपालन को प्रोन्नत करने और कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, आयुक्त, संशोधन के लिए उपलब्ध कराए गए आवेदन, विवरणी, उपाबंध, विकल्प, घोषणा प्ररूप अपील के ज्ञापन, कथन, संपरीक्षा रिपोर्ट तथा किसी अन्य दस्तावेज में, जिनका कि इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिकृत वेब पोर्टल पर जानकारी द्वारा संशोधन कर सकेगा.".

(3) प्ररूप 4 में, शब्द "साठ लाख", के स्थान पर शब्द "एक करोड़" स्थापित किए जाएं.

(4) प्ररूप 10 में, उपाबंध 6 में, कालम (5) में, शब्द "नाम एवं पता" के स्थान पर, शब्द "नाम, पता तथा टिन" स्थापित किए जाएं.

(5) ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत हुए समझे जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए-3-15-2011-1-(44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-15-2011-1(44), दिनांक 2 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd September 2013

No. F-A-3-15-2011-1-V (44).—Whereas, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 76, in sub-rule (2), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where application with all details as mentioned in Form 59 is submitted electronically, an electronically generated e-transit pass containing particulars as may be decided by the Commissioner, shall be issued.".

(2) In rule 84-A,—

(i) in sub-rule (1), for the words "class of dealers", the words "a class of dealers or a class of persons" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5) With a view to promoting effective compliance and ensuring compatibility with computerized system, the Commissioner may amend by information on the official web portal provide for amendments in the application, return, annexure, option, declaration from, memorandum of appeal, statement, audit report and any other document which is required to be submitted electronically.".

(3) In Form 4, for the words "sixty lacs", the words "one crore" shall be substituted.

(4) In Form 10, in Annexure 6, in column (5), for the words "Name and address", the words"Name address and TIN" shall be substituted.

(5) These amendments shall be deemed to have come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.